अनुसूची 14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

शेख तौफीक प्रथम पक्ष

बनाम

शेख अरशद द्वितीय पक्ष

पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....53/22.................सन् 2021

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8/04/22	थाना प्रभारी बगोदर के अप्रथामिकी सं0 06/22 दिनांक 04/03/22 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि खाता नं0 159, प्लॉट नं0 1930 रकवा 4.64 डी० चौहद्दीः उ0- शेख लुकमान व अन्य परती टांड द0- शेख जुनाईद एवं शेख जलील का परती टांड पू0- शेख इस्लाम वगैरह का खेत परती प0- श्याम ठाकुर वगैरह का परती टांड पर शेख अरशद वगैरह वगै0 के द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिससे विवाद हो सकता है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थाना प्रभारी के समर्पित प्रतिवेदन तथा प्रथम पक्ष... शेख तौफीक ...का आवेदन भी संलग्न किया गया है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 21/04/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। 8/4 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया 8/4 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/04/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष से शेख तौफीक उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। To 5/5/22 [signature] 21/4	
5/5/22	प्रथम पक्ष से शेख तौफीक उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतनामा उपस्थित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में व्यस्त। To 19/5/22	
19/5/22	उभय पक्ष अनुपस्थित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में व्यस्त। To 06/6/22 [signature] 19/5	
06/06/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी बगोदर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा उभय पक्ष से कारण पृच्छा की माँग की गई। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा - कुदर, थाना - बगोदर में स्थित खाता _159, प्लाट _ 1930 रकबा 4.64 डी. जमीन	

[signature]

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	गैर निबंधित हुकुमनामा के द्वारा प्रथम पक्ष के पिता खोरखकार- को हासिल है। प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर दखलकार होकर अंचल कार्यालय बगोदर में लगान जमा करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के नाम से अंचल पूर्व के कार्यालय बगोदर में पूर्ववर्ती जमींदार द्वारा रिर्टन भी दाखिल किया गया था। प्रश्नगत भूमि साथ ही प्रश्नगत भूमि के कुछ हिस्से में प्रथम पक्ष का मकान भी बना हुआ है। द्वितीय पक्ष के सरजमाना फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दखल करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में रिर्टन की छाया प्रति, ऑनलाइन पंजी-II की प्रति, पंजी-II की छाया प्रति, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत लगान रसीद सं०- A088806, 5939594, 818855, 073979, 169143, एवं 119596 की छाया प्रति, खाससा रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण का पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार परम्परागत भूमि शौरव कारक एवं शोरव फारनख को बजरिये हुकमनामा से हासिल है। हुकमनामा से जमीन हासिल होने के पश्चात प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष जो आपस में गोतिया है आधा-आधा जमीन का बंटवारा कर अपने दखल-कब्जे की जमीन पर जोत-कोड़ करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष जबरन द्वितीय पक्ष के हिस्से की जमीन में जोत-कोड़ करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकमनामा की छाया प्रति एवं खलासा रसीद की प्रति, छाया प्रति दाखिल किया गया। थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन के अवलोकन किया। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय पक्ष जबरन प्रथम पक्ष की जमीन पर जे.सी.बी. से	

5

(आदे)श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खुदाई करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा लगाया गया वृक्ष भी है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, दस्तावेज एवं थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर वैधिक रूप से दखलकार हैं तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य गण के द्वारा उनके दखल को अवरुद्ध प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध नियमन को निरपेक्ष घोषित किया जाता है। उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 6/06/22 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.06.09 15:46:41 +05:30
Location: 192.168.1.6